

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कटूमर जिला अलवर



संख्या नं. 2/36/2021

तारीख रजु

किन्नोदेवी

बनाम

रामदास वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.01.2021	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्जे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 438, 183, 193, 512, 811, 426, वाके ग्राम टिटपुरी तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 18.03.2021को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.03.2021को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)</p> <p>18.3.21</p> <p>उपस्थित / उपस्थित साविक आदेश दिनांक 18.1.21 की पालना में पत्रावली वास्ते 18.03.21 दिनांक 18.1.21 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)</p> <p>17/6/21</p> <p>मुद्राव देरीकेव उप-प.ड. दिनांक 17/6/21 मुद्राव देरीकेव 17/6/21 को पेश हो</p>	

